ing and the offer meets the requirements of minimum guarantee of advertising revenue as per prevailing market.

Regarding Regional films, these are telecast alphabetically languague-wise by rotation as per the eligibility criteria. In a particular language, a film produced later get priority in sloting.

Only those films certified as 'U' by the Censor Board are accepted for telecast. These are further previewed by in-house committees to ensure their suitability for family viewing.

In view of above, there is no expert panel to decide feature films.

(b) and (c) Do not arise.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की घाटे में चल रही शाखाएं

1553. **श्री एस०एस० सुरजेवाला:**
श्री अजीत जोगी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैंकवार कितनी शाखाएं घाटे में चल रही है;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान इन शाखाओं को बैंकवार कितना घाटा हुआ है;

(ग) उसके क्या कारण है;

(घ) इन बैंकों में घाटे को रोकने और इन्हें लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान मुनाफा कमाने वाले बैंकों का प्रत्येक बैंक द्वारा कमाए गए मुनाफे की राशि सहित ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की घाटा उठाने वाली शाखाओं से संबंधित (नवीनतम उपलब्ध) जानकारी विवरण-I में दी गई (नीचे देखिए)

(ग) शाखाओं के घाटा उठाने के मुख्य कारण ये हैं:—

(i) शाखा में किए जाने वाले कारोबार (अर्थात जमाराशियों और अग्रिमों) की कम मात्रा।

(ii) प्रतिकूल विभिन्न प्रकार की जमाराशियां जिसके परिणामस्वरूप जमाराशियों की उच्च लागत।

(iii) अनिष्पादित परिसंपत्तियों का उच्च स्तर।

(iv) अवरूद्ध या गिरता कारोबार और कारोबार का लाभ अलाभ स्तर से नीचे होना।

(v) कुल अग्रिमों की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों (निम्न ब्याज आय देने वाले डीआरआई अग्रिमों सहित) का उच्च अनुपात।

(घ) घाटों को रोकने और ऐसी शाखाओं को लाभप्रद बनाने के लिए बैंकों द्वारा उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदम निम्नानुसार है:—

(i) बैंकों से अपनी घाटा उठाने वाली शाखाओं के बारे में समीक्षा नोट तैयार करने और उन्हें बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

(ii) घाटा उठाने वाली प्रत्येक शाखा को बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में तैयार की गई कार्य योजना के अन्तर्गत लाया जाता है, घाटे के कारणों का पता लगाया जाता है और उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ/हानि से संबंधित जानकारी विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

31.3.1995 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की घाटा देने वाली शाखाओं और घाटों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु० में)

क्रम सं०	बैंक का नाम	घाटा देने वाली शाखाओं की सं०	उठाई गई हानि की राशि
1.	भारतीय स्टेट बैंक	2933	14109.62
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	86	163.63
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	54	94.08
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	36	97.32
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	149	312.74
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	64	208.57
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	22	70.92
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	18	55.17
9.	इलाहाबाद बैंक	189	671.51
10.	आन्ध्रा बैंक	553	2738.20
11.	बैंक आफ बड़ौदा	283	2494.36
12.	बैंक आफ इंडिया	438	1507.11
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	311	1053.26
14.	केनरा बैंक	170	729.43
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	957	4289.15
16.	कारपोरेशन बैंक	72	279.18
17.	देना बैंक	186	386.80
18.	इंडियन बैंक	218	584.09
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	422	2118.81
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	56	115.83
21.	पंजाब नेशनल बैंक	1123	12870.03
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	82	1499.53
23.	सिंडिकेट बैंक	849	8987.09
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	16	20.59
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	545	4512.51
26.	यूको बैंक	933	3565.10
27.	विजया बैंक	84	238.08

विवरण-II

1995-96 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ/हानि को दर्शानेवाला विवरण

(करोड़ रु० में)

क्रम सं०	बैंक का नाम	शुद्ध लाभ/हानि
1.	भारतीय स्टेट बैंक	831.60
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	25.79
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	50.00
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	12.00
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	25.63
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	*
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	(—) 230.31
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	26.20
9.	इलाहाबाद बैंक	*
10.	आन्ध्रा बैंक	11.07
11.	बैंक आफ बड़ौदा	204.27
12.	बैंक आफ इंडिया	276.48
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	12.60
14.	केनरा बैंक	252.52
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	(—) 73.53
16.	कारपोरेशन बैंक	104.75
17.	देना बैंक	51.69
18.	इंडियन बैंक	*
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	*
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	172.75
21.	पंजाब नेशनल बैंक	*
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	*
23.	सिंडिकेट बैंक	20.17
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	80.49
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	(—) 234.46
26.	यूको बैंक	*
27.	विजया बैंक	(—) 250.95

(—)हानि दर्शाता है

आरबीआई के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

Action Plans for encouraging tourism in Punjab

1554. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) the number of action plans included in the 8th Five Year Plan to promote and encourage tourism in the State of Punjab;

(b) the necessary funds allocated for this purpose;

(c) the achievement made so far in this respect;

(d) concrete steps being taken by Government in this regard; and